ACM आमेर, मु. जयपुर
फर्द अहकाम
किस्म नालिश मालीशान

न्यायालय

संख्या 133/22 डिग्री

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत क्रम से	विशेष विवरण
	13-8-2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। प्रतिवादी 1,2 ने प्रा०पत्र O22 R4 व 9 एवं धारा-5 का जवाब एवं बहस आज भी नहीं किया है अतः प्रतिवादी 1,2 का जवाब एवं बहस का अवसर बंद किया जाता है। वादी अधिवक्ता की प्रा०पत्र धारा-5 व प्रा०पत्र O22 R4 व 9 पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र O22 R4 व 9 व धारा-5 हेतु दिनांक 29-8-24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29-8-2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। वाद का उपशमन होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 133/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक : 09.12.2022

1. श्रीमती दिव्या मीणा पत्नी स्व. श्री गणेशलाल
2. प्राजंल पुत्री स्व. श्री गणेशलाल
3. तमीक्षा पुत्री स्व. श्री गणेशलाल

नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती दिव्या मीणा पत्नी स्व. गणेश लाल समस्त जाति मीणा, निवासीयान् ग्राम बरना, पोस्ट राधाकिशपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....वादियागण

बनाम

1. मालीराम पुत्र कानाराम
2. पप्पू मीणा पुत्र मालीराम
3. ग्यारसी लाल पुत्र शिशुपाल
4. गुलाब देवी पत्नी शिशुपाल
5. चावलाराम पुत्र कानाराम
6. बोदूराम पुत्र कानाराम
7. भंवरलाल पुत्र शिशुपाल
8. सुनीता पुत्री शिशुपाल
9. मंगेजा पुत्र नारायण
10. राधा देवी पत्नी स्व. काना
11. रिछपाल पुत्र स्व. काना

समस्त जाति मीणा, निवासीयान् ग्राम बरना, पोस्ट राधाकिशपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

12. रांजू देवी पत्नी गणपतलाल, जाति मीणा, निवासी बीड की ढाणी, ग्राम माचडा, हरमाडा, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार महोदय, जालसू तहसील आमेर, उप तहसील जालसू, जिला जयपुर।
15. उप पंजीयक महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. एस.बी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

18. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 जयपुर–जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

..... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.08.2024

हस्तगत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 9 मंगेजा पुत्र नारायण का देहांत वर्ष 2010–2011 को हो चुका है। वादी की जानकारी में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 9 के, 9/1.लालाराम पुत्र मंगेजा जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, पोस्ट राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के वारिसान् है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 10 राधा देवी पत्नी काना का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है। वादी की जानकारी में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 10 के विधिक वारिसान प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 11 पूर्व से रिकॉर्ड पर है। इसलिए प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 10 का नाम हजफ फरमाया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 11 रिछपाल पुत्र काना का स्वर्गवास वर्ष 02.07.2001 में हो चुका है। वादी/प्रार्थी की जानकारी में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्य 11 के 11/1 सुनिता पुत्र रिछपाल, 11/2 भंवरलाल पुत्र रिछपाल, 11/3 ग्यारसी लाल पुत्र रिछपाल, 11/4 गुलाब देवी पत्नी रिछपाल वारिसान है। जोकि समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बरना पोस्ट राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के निवासी है। उक्त प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण मृतक के कायम मुकामान उपरोक्त है इनके अलावा अन्य कोई और कानूनी वारिसान नहीं है। इन्हें राईट टू इश्यू प्राप्त होने से पक्षकार प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वाद/प्रार्थना पत्र पेश करते समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारों को संयोजित कर वाद पेश किया था। परंतु जब वाद पत्र के नोटिस लोटकर प्राप्त होने पर उक्त मृतकों की जानकारी हुई। तत्पश्चात् वादी/प्रार्थीगण ने उक्त मृतकों की मृत्यु की दिनांक व कायम मुकाम वारिसान की जांच कर उक्त कायम मुकाम प्रार्थना पत्र माननीय के समक्ष जानकारी से अंदर मियाद पेश है। अतः आवेदन पत्र सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अप्रार्थी संख्या 9 व 11 के वारिसान को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे। तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी 10 का नाम हजफ किया जावें।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब एवं बहस नहीं करने पर जवाब एवं बहस का अवसर बंद किया गया।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। जिन्होंने उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस व न्यायिक दृष्टान्तो पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

प्रार्थी के कथन अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 मंगेसा पुत्र नारायण का देहांत दिनांक 2010–2011 को हो चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 राधा देवी पत्नी काना का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है जिसकी कोई भी मृत्यु दिनांक अंकित नहीं की गई एवं प्रतिवादी संख्या 11 रिछपाल पुत्र काना का स्वर्गवास दिनांक 02.07.2001 को हो चुका है।

प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पते एक ही गांव के है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी है तो ऐसा नहीं हो सकता की प्रतिवादीगण की मृत्यु की जानकारी वादीगण को नहीं रही हो अर्थात वादीगण ने न्यायालय को मुगालते में डालकर वादपत्र पेश किया है जोकि उचित नही है। अतः वाद स्वतः उपशमित हो गया है। प्रार्थीगण का यह दायित्व बनता है कि वह मृतकों की वारिसान को वाद दायरी से पूर्व ही पक्षकार बनाकर माननीय न्यायालय में पेश करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एवं मृतकगण एक ही गावं के सदस्य है जिससे यह प्रतीत होता है कि मृतकगण के वारिसान की जानकारी प्रार्थी को रही होगी।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी/वादी द्वारा यह कथन रहा कि मृतकगण की जानकारी तामील नोटिस से हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 08.02.2023 के द्वारा वादी/प्रार्थी को मृतकगण की जानकारी हो गई थी परंतु वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4 व 9 तथा धारा– 5 दिनांक 11.06.2024 जो कि कई महिने की देरी से पेश की है। तथा देरी का भी कोई युक्ति युक्त कारण पेश नहीं किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी 9, 10, 11 का स्वर्गवास दावा दायरी से कई वर्षो पहले हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय RBJ 2010 Page में प्रतिपादित किया है *Order 22 Rule 9 - When after the death of appellant plantiff no application was filled for bringing the LR's of the appellant on record delay is of 778 days abetment is automatic and no specific order required.* इसी प्रकार 2017 RBJ 386 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है *Order 22 rule 3 & 4 section 100 - Abetment of appeal-Appeal abates automatically on expiry of 90 days from the death if LR's are not submitted.*

वादीगण ने पूर्ण जानकारी के उपरान्त भी मृतकगणो के वारिसानो को पक्षकार बनाकर वाद पत्र पेश नहीं किया है। जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है वहां आवेदन को गुणावगुण पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। देरी के कारण संतोषप्रद ना होने से वाद को स्वतः अबेट हुआ मानना आवश्यक है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सारभूत न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वाद के उपशमन होने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पक्ष के हित में कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है। जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानों के विपरीत उससे नहीं छीना जाना चाहिए। इस प्रकार वादी का वाद स्वतः उपशमित हो गया है। न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) RRT 1437, 2017 (1) RRT 117, 2019 RPJ - 61

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि वादी द्वारा मियाद में कायम मुकामान पेश नहीं किया है वाद स्वतः उपशमित हो गया। यदि वाद का उपशमन प्रतिवादी के विरूद्व ही माना जाता है तो प्रतिवादी के वारिसो के रिकॉर्ड पर ना आने से सहस्वामित्व की विरोधाभासी डिक्रीया पारित होने की संभावना है। अतः सम्पूर्ण वाद अबेट होने योग्य है। ऐसी परिस्थतियो में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तो के प्रकाश में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर लापरवाही तथा वैद्यानिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर